

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक : त.स.-अध्यक्ष/राआम/2019-20/ 66

दिनांक:- 13-8-2019


बैठक— कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा हेतु अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2019 को मण्डल कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहे :—

1.	श्री के.सी.पीणा	मुख्य अभियंता—प्रथम
2.	श्री जी.एस.बाघेला	मुख्य अभियंता (द्वितीय)
3.	श्री राजीव जैन	सचिव
4.	सुश्री रेखा भास्कर	वित्तीय सलाहकार
5.	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि)
6.	श्री नरथू राम	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रथम)
7.	श्री एम.सी. उपाध्याय	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (द्वितीय)
8.	श्री रीताराम बारी	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (तृतीय)
9.	श्री एस.एल.सेठी	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
10.	डॉ.प्रवीण कुमार	सम्पदा प्रबंधक (भूमि)
11.	श्री सर्वेश शर्मा	तकनीकी सहायक—आवासन आयुक्त
12.	श्री अनुज माथुर	संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट)
13.	श्री विवेक जादौन	सहायक निदेशक जन सम्पर्क अधिकारी


माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में पूर्व मे हुई बैठक दिनांक 03.05.2019 की प्रगति की समीक्षा एवं मण्डल की गतिविधियों के बारे में बिन्दु-वार विस्तृत चर्चा की जाकर निमानुसार निर्देश प्रदान किये गये :—

क्र. सं.	बिन्दु विवरण	निर्देश	सम्बन्धित अधिकारी
1.	मण्डल में अवस्थित अनिस्तारित सम्पत्तियों यथा आवास/फ्लेट/भूखण्ड एवं वाणिज्यिक इत्यादि के निस्तारण की कार्यवाही किया जाना।	<p>आवासन मण्डल में अनिस्तारित कुल 21,645 आवासों में से 10,499 आवास कब्जे दिए जाने की विभिन्न प्रक्रियों में हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा कब्जे से लंबित आवासों पर चर्चा की एवं सख्त निर्देश दिए कि मण्डल की कार्यप्रणाली के कारण आवासों के कब्जे में हो रही देरी उचित नहीं है। इसका तुरंत समाधान किया जावे एवं जिस स्तर पर भी कार्य लंबित है उसे तुरंत करवाया जाकर आवासों के कब्जे दिए जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>आवासन मण्डल में 11,146 आवास खुली ब्रिकी/निलामी के माध्यम से निस्तारण करने हेतु प्रक्रियाधीन हैं। इस संबंध में 7075 आवासों/फ्लेट्स की लागत में छूट देकर निस्तारण किए जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार में स्वीकृती हेतु प्रेषित किया हुआ है। राज्य सरकार से प्राप्त दिशा—निर्देशानुसार प्रस्तावित 7075 फ्लेट्स/आवासों को ई-ऑक्शन के जरिये निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया निर्धारण प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृती पश्चात् आगामी 30 दिवस में आवासों/फ्लेट्स को ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारण प्रक्रिया प्रारम्भ की जावें।</p> <p>द्वितीय चरण में शेष 4071 आवासों/फ्लेटों की लागत में छूट के प्रस्ताव केमेटी के माध्यम से आगामी 15 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।</p>	<p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं उप आवासन आयुक्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय,</p> <p>मुख्य अभियंता—मुख्या,</p>
2.	लागत निर्धारण हेतु प्रचलित नियमों में संशोधन बाबत	अध्यक्ष महोदय द्वारा लागत निर्धारण में प्रचलित नियमों के संशोधन हेतु अनावश्यक हो रही देरी पर	वित्तीय सलाहकार, मुख्य सम्पदा प्रबंधक, उप



		नाराजगी व्यक्त की एवं कहा कि इस कारण इसका लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्तीय सलाहकार को निर्देशित किया गया कि आगामी 07 दिवस के अन्दर लागत सिद्धान्तों/ब्याज दरों पर गहराई से विचार-विर्भास कर कमेटी द्वारा संशोधन प्रस्ताव दिनांक 16.08.2019 तक प्रस्तुत किए जावे। जिन्हे आगामी संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा सके।	सचिव, अति. मुख्य अभियंता -प्रथम, उप वित्तीय सलाहकार
3.	कम्प्यूटरीकरण एवं मण्डल की वेबसाइट के सम्बंध में	<p>संयुक्त निदेशक (सिस्टम एना.) द्वारा बताया गया कि निदेशक RISL द्वारा संवेदक फर्म IL&FS को मण्डल के शेष कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। संवेदक फर्म द्वारा शेष कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।</p> <p>Marketing Website हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है जोकि 30.09.2019 को खोली जानी है, मण्डल द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार भविष्य में आवासों का निस्तारण ई-ऑक्शन के जरिए ऋणात्मक विड आधार पर किये जावेगे। इस कारण अब Marketing Website उसी के अनुरूप तैयार करवायी जावे।</p> <p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ई-ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाने हेतु वित्तीय सलाहकार 03 दिवस के अन्दर प्रक्रिया संबंधित नियम एवं बैंकर का चयन कर संयुक्त निदेशक सिस्टम एनालिस्ट को उपलब्ध करवायेगे। संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) बैंकर से मण्डल की आवश्कतानुसार कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करवाने सम्बन्धी कार्यवाही 30 दिवस में पूर्ण करावे।</p>	वित्तीय सलाहकार/ संयुक्त निदेशक (सिस्टम एना.)
4.	दोषी आवंटियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने बाबत	<p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आवासों की मासिक किश्त जमा ना कराने वाले दोषी आवंटियों को न्यायिक नोटिस जारी किये जावें एवं अत्याधिक राशि बकाया होने पर नियमानुसार आवास की नीलामी की कार्यवाही की जावे।</p> <p>सचिव द्वारा यह बताया गया कि बकाया राशि जमा ना कराने वाले दोषी आवंटियों को आवास से वेदखल करने का अधिकार प्राप्त करने एवं बेदखली का अधिकार वृत्/स्वतंत्र खण्ड प्रभारी को दिया जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सचिव राज्य सरकार से 15 दिवस में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करें।</p>	<p>समस्त उप आवासन आयुक्त/ स्वतंत्र खण्डीय आवासीय अभियंता</p> <p>सचिव</p>
5.	मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की लिंगित DPC, Review DPC, रिक्त पद, ऑडिट पैरा/ पैशन मामले एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण	<p>सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण तकनीकी संवर्गों की DPC नहीं की जा सकी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त सम्बन्ध में विधिक राय लेकर “न्यायालयों में लम्बित वादों के निर्णयों के अध्याधीन” रखते हुए पदोन्नति समिति की बैठक अधिलम्ब आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>मण्डल में कार्यरत कर्मियों को नवीन तकनीकी एवं प्रक्रियाओं से अद्यतन कराये जाने हेतु सभी संवर्गों के प्रशिक्षण हेतु वर्षा भर का केलेंडर अनुसार कार्यवाही की जावे।</p>	<p>सचिव</p> <p>तक. सहा.—आवासन आयुक्त</p>
6.	मण्डल के जयपुर से बाहर कार्यरत कार्यालयों का सुदृढीकरण	<p>मण्डल के विभिन्न कार्यालयों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर पदस्थापन सामान्य वरिष्ठता (Common Seniority) के आधार पर 15 दिवस में पूर्ण किया जावे।</p> <p>सचिव द्वारा मण्डल में लेखाकर्मियों की कमी को देखते हुए लेखाकर्मियों को राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त पर लिए जाने हेतु पत्र संयुक्त सचिव (नगरीय विकास विभाग) को प्रेषित किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लेखाकर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु सचिव स्तर से विशेष प्रयास किया जावे।</p>	सचिव/ मुख्य अभियंता- I/II/HQ


7.	Land Pooling Act से सम्बंधित	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि योजना तैयार करने से पूर्व योजना की उपयुक्तता (viability) तथा आवासों की मांग के संबंध में संबंधित उप आवासन आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा मुख्य अभियंता से रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करावें।	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक / सम्पदा प्रबंधक (भूमि)
8.	नई टाउनशिप विकसित किया जाना	मुख्य अभियंता-प्रथम द्वारा बताया गया कि मानसरोवर में मण्डल के मूल उददेश्यों एवं छवि को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पार्टनर के साथ योजना विकसित करने का मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है जिसे संचालन मण्डल की आगामी बैठक में स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।	मुख्य अभियंता (प्रथम)/ अति. मुख्य नगर नियोजक
9	आवंटियों की शिकायतों के निवारण हेतु	संयुक्त निदेशक (सिस्टम एना.) द्वारा बताया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी शिकायतों का समयावध्य निवारण राज्य सरकार के एकल पोर्टल (CM HELP LINE) पर ही किया जा रहा है एवं मण्डल में भी उक्त पोर्टल को ही उपयोग में लिया जा रहा है।	सभी सम्बन्धित / संयुक्त निदेशक (सिस्टम एना.)
10.	आवासन मण्डल में लम्बित Court Cases के निस्तारण बाबत	निदेशक विधि द्वारा बताया गया कि मण्डल के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में काफी संख्या में वाद लम्बित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में निर्देशित किया गया कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित Cases के निस्तारण हेतु वृहत स्तर पर श्रेणी अनुसार एकत्रित कर कार्यवाही की जावे एवं लम्बित Court Cases को लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारण की संभावना तलाशी जावे।	निदेशक विधि
11.	निर्माण कार्यों की SOP सार्वजनिक निर्माण विभाग के PWF & AR के अनुसार संशोधित करने बाबत	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बंधित मण्डल की Schedule Of Power को सार्वजनिक निर्माण विभाग के PWF & AR के अनुसार संशोधित कर मण्डल में लागू करने के निर्णय हेतु पत्रावली संचालन मण्डल की आगामी बैठक में स्वीकृती हेतु बोर्ड एजेण्डा तैयार कर भिजवाये।	वित्तीय सलाहकार
12.	मण्डल में PMAY/CMJAY के तहत राजस्थान में 50,000 आवासों के निर्माण हेतु।	<p>PMAY/CMJAY योजना के अन्तर्गत 50 हजार आवासों की लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अतिमुख्य अभियन्ता-तृतीय की अध्यक्षता में समिति (Dedicated team) का गठन किया जा चुका है।</p> <p>PMAY/CMJAY के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि</p> <p>(1) लगभग 22000 आवासों के निस्तारण हेतु जारी होने वाली विज़ाप्ति एवं आवंटन पत्र में PMAY/CMJAY के CLSS प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु Footnote का उल्लेख किया जावे।</p> <p>(2) नोडल ऑफिसर अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय द्वारा बताया गया कि PMAY/CMJAY के प्रावधान BLC के अन्तर्गत अभिवृद्धि (Enhancement) का लाभ लेने हेतु आवासन मण्डल की योजनाओं में पूर्व निर्मित 16000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 380 EWS आवंटियों का ही डेटावेस रुडसिक्को को उपलब्ध करवाया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की गई एवं निर्देशित किये गये कि दिनांक 20.08.2019 तक अधिकतम लक्ष्य की पूर्ति की जावे अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।</p> <p>(3) मुख्य अभियंता-प्रथम द्वारा बताया गया कि PMAY/CMJAY के अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु NIB प्रकाशित की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि CMJAY में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य की सीमा होने के कारण आवासन मण्डल को भूमि की लागत प्राप्त नहीं हो रही है, इस कारण आवासन मण्डल के परिषेक में निर्धारित विक्रय मूल्य को विलोपित कराते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग-2009 के अनुरूप विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने बाबत CMJAY की नोडल एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार से योजना में बदलाव बाबत कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत नोट भेजा जावे।</p>	<p>मुख्य सम्पदा प्रबंधक / समस्त उप आवासन आयुक्त</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय</p> <p>मुख्य अभियंता, प्रथम</p>

	13. मण्डल योजनाओं में हो रहे अतिक्रमण बाबत	<p>सम्पदा प्रबंधक (भूमि) द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण से संबंधित सूचना कुछ स्थानों से प्राप्त कर ली गई है। इस संबंध अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि</p> <ol style="list-style-type: none"> सभी उप आवासन आयुक्तों के साथ बैठक कर मण्डल योजनाओं की भूमि पर हुए अतिक्रमण को मोनिटरिंग हेतु नक्शे में अलग-अलग रंगों से दर्शाकर 30.08.2019 तक आवश्यक रूप से तैयार किया जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार योजनाओं का व्यक्तिशः दौरा भी किया जावे। राजस्थान आवासन मण्डल की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की शक्तियां प्राप्त करने एवं वृत्/स्वतंत्र खण्ड प्रभारी अधिकारियों को अधिकृत कराने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। इस हेतु सचिव स्तर से विशेष प्रयास किया जावे। मण्डल की योजनाओं में स्थित बहुमूल्य भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण/खातेदारों को शेष रहे भूमि के पट्टे कैम्प लगाकर सहमति से दिए जाकर भूमि रिक्त करवाने की कार्यवाही करे। इस हेतु प्रथमतः 6 स्थानों (प्रताप नगर सांगानेर, इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा, निवाई टोंक, पानेरियो की मादड़ी उदयपुर, सविनाखेड़ा उदयपुर, खानपुरा गंगापुर सिटी) पर कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण माह सितम्बर, 2019 के अंत तक करें। 	<p>उप आवासन आयुक्त/ सचिव/ मुख्य संपदा प्रबंधक (भूमि)</p>
14.	भूमि अवास्ति (15/25 प्रतिशत प्रकरणों) के विरुद्ध न्यायालय में जमा राशि वापस मण्डल कोष में प्राप्त करने हेतु	<p>सम्पदा प्रबंधक (भूमि) द्वारा बताया गया कि भूमि अवास्ति के 15/25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिए जाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र में संशोधन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इस हेतु सचिव स्तर पर कार्यवाही की जावे।</p> <p>उक्त के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पदा प्रबंधक (भूमि) को निम्नलिखित निर्देश दिए गए।</p> <p>(1) विकसित भूखण्ड दिए जाने के प्रकरणों में खातेदार से भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात ही आवंटन पत्र सौंपे जावे। भूमि अवास्ति के विभिन्न प्रकरणों में न्यायालय में जमा राशि को प्राप्त करने हेतु निदेशक विधि की सहायता से 30 दिवस में राशि मण्डल कोष में प्राप्त करे।</p> <p>(2) वृत्/खण्ड कार्यालयों से जिन खातेदारों की अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है वह आगामी 30 दिवस में पूर्ण कर सम्पदा प्रबंधक (भूमि) को उपलब्ध करावे, जिससे की खातेदारों को विकसित भूमि के पट्टे देने की कार्यवाही की जा सके।</p>	<p>सचिव/ सम्पदा प्रबंधक (भूमि)</p>
15.	भूमि अवास्ति के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण बाबत	<p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल की धारा 27 एवं केन्द्रीय भूमि अवास्ति अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कुल 29 प्रक्रियाधीन प्रकरणों के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को स्पष्ट अनुशासा प्रेषित करावे।</p> <p>इसके अतिरिक्त 28 ऐसे प्रकरण जिसमें काश्तकारों को भूमि के विरुद्ध नगद मुआवजा लगभग 1400 करोड़ रुपये दिये जाने हैं के स्थान पर योजना में विकसित भूखण्ड दिये जाने हेतु खातेदारों से सहमती प्राप्त करने की समयावधि राज्य सरकार से बढ़वाने हेतु कार्यवाही करे।</p> <p>अध्यक्ष महोदय द्वारा भूमि अवास्ति के जिन प्रकरणों में भूमि समझौता समिति की बैठक लम्बित है उनको सूचीबद्ध किया जाकर समयबद्ध तरीके से भूमि समझौता समिति की बैठक आयोजित कर प्रकरणों के निस्तारण हेतु मण्डल सचिव को निर्देशित किया गया।</p>	<p>सचिव</p>
16.	मण्डल द्वारा डिपोजिट कार्य करने बाबत	<p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संशोधित प्रशासनिक शुल्क अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य करने हेतु मण्डल द्वारा प्रयास किये जावे।</p>	<p>मुख्य अभियंता—प्रथम</p> 

		इस हेतु मुख्य अभियंता-प्रथम को निर्देशित किया गया कि वित्तीय विभाग से राजस्थान आवासन मण्डल को सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं RSRDC के समतुल्य मानते हुए राज्य सरकार के विभागों को राजस्थान आवासन मण्डल से सीधे निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु निर्देश जारी करावे।	
17.	एक परिवार द्वारा एक ही शहर में एक से अधिक आवास लेने के संबंध में	आवासन मण्डल के नियम-1970 के अनुच्छेद-2 बिन्दु संख्या (7) अनुसार एक परिवार एक शहर में एक ही आवास लेने का पत्र था। लेकिन वर्तमान परिस्थियों को देखते हुए बैठक में चर्चा की गयी कि एक परिवार को एक ही शहर में आवश्यकतानुसार एक से अधिक आवास लेने की छूट दी जानी चाहिए। इस संबंध में मुख्य सम्पदा प्रबंधक की अध्यक्षता में एक समिति (अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, उप वित्तीय सलाहकार, उप आवासन आयुक्त, वृत्-द्वितीय, तकनीकी सलाहकार-आवासन आयुक्त) विचार विमर्श कर विस्तृत रिपोर्ट आगामी संचालन मण्डल की बैठक में रखने हेतु प्रस्तुत करेगे।	मुख्य सम्पदा प्रबंधक / अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, उप वित्तीय सलाहकार, उप आवासन आयुक्त, वृत्-द्वितीय, तक. सलाहकार-आवासन आयुक्त
18.	एक ही ब्लाक / सैक्टर में आवंटित प्लेट / आवास बदलने के संबंध में	वर्तमान में मण्डल में आवंटित आवास/प्लेट बदलने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। जबकि आवंटी द्वारा रिक्त आवास/प्लेट बदलने हेतु आवेदन किया जाता है। इस संबंध में बैठक में चर्चा की गई एवं राय दी गई कि आवास/प्लेट रिक्त होने की अवस्था में निर्धारित शुल्क लेते हुए आवेदक के मकान बदला जाना उचित होगा। इस हेतु मुख्य सम्पदा प्रबंधक की अध्यक्षता में एक समिति (अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, उप वित्तीय सलाहकार, उप आवासन आयुक्त, वृत्-द्वितीय, तकनीकी सलाहकार-आवासन आयुक्त) विचार विमर्श कर विस्तृत रिपोर्ट आगामी संचालन मण्डल की बैठक में रखने हेतु प्रस्तुत करेगे।	मुख्य सम्पदा प्रबंधक / अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, उप वित्तीय सलाहकार, उप आवासन आयुक्त, वृत्-द्वितीय, तक. सलाहकार-आवासन आयुक्त
19.	मण्डल की योजनाओं में भू-उपयोग परिवर्तन करने वाले।	राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं हेतु अवासि की गई भूमि राज्य सरकार द्वारा आवासीय उपयोग हेतु दी जाती है। नियमानुसार योजनाओं का नियोजन किया जाता है। मण्डल की योजनाओं में आन्तरिक भूमि का उपयोग गुण अवगुण के आधार पर आवश्यकतानुसार पुनःनियोजन किया जाता है। जिसकी शक्ति मण्डल की परियोजना समिति में निहित है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि आन्तरिक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन सूचीवद्ध कर प्रस्तुत करे।	सम्पदा प्रबंधक (भूमि) एवं समस्त उप आवासन आयुक्त
20.	आवासन मण्डल की वेबसाईट पर मण्डल के नियम/सूचना के अधिकार से सम्बन्धित सभी आदेश प्रदर्शित करने के संबंध में	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभागाध्यक्ष जैसे तकनीकी, वित्तीय आवासन, प्रशासनिक, भूमि, विधिक, नगर नियोजन एवं सूचना के अधिकार आदि से सम्बन्धित सभी आदेश मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित होना सुनिश्चित करे।	सभी सम्बन्धित/संयुक्त निदेशक (प्रिस्टम ऐनालिस्ट)

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 09.08.2019 को चर्चा उपरांत निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

1.	CRPF द्वारा मानसरोवर व प्रताप नगर योजना, जयपुर में अधिक संख्या में आवास लेने पर लागत में उचित छूट देने वाले।	DIG (ADM), CRPF एवं आवासन मण्डल के अधिकारियों की दिनांक 09.08.2019 को हुई बैठक में DIG (ADM) द्वारा मण्डल की मानसरोवर योजना में H-Block के MIG-B के 36 फ्लेट्स एवं प्रताप नगर योजना में HIG-I&II के Block B&D के 70 फ्लेट्स के अतिरिक्त 2 BHK के लगभग 100 फ्लेट्स को और लेने की इच्छा जाहिर की। इस संबंध में तय किया गया कि CRPF अधिकारियों को प्रताप नगर योजना में स्थित चिनाव अपार्टमेंट (G+3) MIG-A फ्लेट्स की Visit कारवायी जावे। फ्लेट्स की लागत में छूट देने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि CRPF द्वारा अधिक संख्या में फ्लेट्स की खरीद करने पर अतिरिक्त छुट दिए जाने की सम्भावना तलाशी जावे एवं आपसी सहमति होने पर तय छुट के प्रस्ताव 20 दिवस में तैयार कर सक्षम अनुमोदन उपरांत आगामी संचालन मण्डल की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जावे।	मुख्य अभियंता-प्रथम/ वित्तीय सलाहकार/ मु सम्पदा प्रबंधक
----	--	---	---



	2. मण्डल में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों को चिकित्सा पुर्नभरण हेतु निर्धारित चिकित्सालय की वर्तमान सूची की समीक्षा बाबत	मण्डल द्वारा समय-समय पर जयपुर एवं अन्य शहरों में कई निजी चिकित्सालयों को मण्डल कार्मिकों के चिकित्सा पुर्नभरण हेतु निर्धारित किए जाते रहे हैं। वर्तमान में कुछ अन्य निजी चिकित्सालय भी चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं जिन्हें सूची में शामिल किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि सामान्य बीमारियों में भी कार्मिकों द्वारा विशिष्ट चिकित्सालयों से इलाज करवाया जाता है, जिसमें काफी अधिक व्यय होता है। उक्त दोनों विषय पर समीक्षा किया जाना आवश्यक है। इस हेतु सचिव की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, मुख्यालय, वित्तीय सलाहकार, संयुक्त निदेशक (सिस्टम ऐनालिस्ट) की एक समिति का गठन किया जाता है। जो उपरोक्त दोनों विषयों पर तार्किक एवं व्यवधित प्रस्ताव 15 दिवस में अध्यक्ष महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे जिसे आगामी संचालक मण्डल की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।	सचिव/मुख्य अभियंता, मु/वित्तीय . सलाहकार/ संयुक्त निदेशक (सिस्टम ऐनालिस्ट)
3.	मण्डल में पंजीकरण उपरान्त आवेदकों को आय वर्ग परिवर्तन विकल्प देने बाबत	प्राय यह देखने में आया है कि आवेदक द्वारा मण्डल में आवास हेतु पंजीकरण करवाने व आवास के आवंटन होने के मध्य काफी समय लग जाता है। इस दौरान आवेदक की आय में उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाता है। इस कारण आवेदक को आवंटन से पूर्व आय वर्ग में परिवर्तन हेतु विकल्प दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु मुख्य सम्पदा प्रबन्धक की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, उप वित्तीय सलाहकार एवं तकनीकी सलाहकार-आवासन आयुक्त की समिति का गठन किया जाता है जो विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में अध्यक्ष महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे जिसे आगामी संचालक मण्डल की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/ अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम / उप वित्तीय सलाहकार/ तकनीकी सलाहकार-आवासन आयुक्त

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



तकनीकी सहायक—अध्यक्ष

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ :-

- 1 निजी सचिव/तक.सहायक—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, जयपुर।
- 2 मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3 सचिव/वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्तमुख्य नगर नियोजक /निदेशक (विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म०, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा०आ०म०, जयपुर/जोधपुर।
- 5 संयुक्त निदेशक (सिस्टम ऐना.)/ सम्पदा प्रबन्धक (भुमि) रा०आ०म०, जयपुर।
- 6 उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता)/ वृत्त.....रा०आ०म०,



13/8/19
तकनीकी सहायक—अध्यक्ष

JD(SA)